

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FROM-1

Government of Uttarakhand

No. *memo/FRA* Office at the district collector Champawat

Date *28-02-2018*

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

TO WHOWSOEYER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/8-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 8.940 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of NH Lohaghat (Champawat) (name of user agency) for Tanakpur Pithoragarh N.H. 125 (New 09) Construction of Champawat Bypass Motor Road Under Char Dham Project in District Champawat. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of *Ravadi, Fulara, Kufalung, Chauki, Purne, etc.* Village (s) in Champawat Tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 8.940 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 1 to 5 annexure
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Signature
अधिशायी अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट
100

Signature
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Signature
जिलाधिकारी
चम्पावत

Signature
जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत।
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी
अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण -पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चम्पावत।

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण (अरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.480 हे०) अर्थात् कुल 8.380 हे० एवं मलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.940 वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत की दिनांक 15-02-2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2003 एवं नियम 2008 कि अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- सुश्री सीमा विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी चम्पावत - अध्यक्ष
- 2- श्री मनोहर सिंह सेनिण, उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत - सदस्य
- 3- श्री हेमा देवी, सहायक समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत - सदस्य / सचिव
- 4- श्री हेमा देवी, बी०डी०सी० क्षेत्र हुगल, - सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

“ जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण” परियोजना हेतु 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वनधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में

ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मिति से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत में चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09) के चम्पावत गाईपास मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त कर गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति
तहसील लोहाघाट
जनपद चम्पावत ।

प्रतिलिपि:—जित्ताधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय मार्ग खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

उपजिलाधिकारी (आय) उप जिलाधिकारी (आय)
उपखण्ड स्तरीय नगर अधिकारी
समिति
तहसील.....
जनपद.....

23
23 33 10
— 4144

तहसीलदार
चम्पावत

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावर वन क्षेत्र

निमा देवी $\frac{x}{x+1}$ देवी

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- राकड़ी फुलारा

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम राकड़ी फुलारा द्वारा दिनांक 02.02.18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राकड़ी फुलारा के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


ह०/-
ग्राम पंचायत राकड़ी फुलारा
ग्राम-प्रधान चम्पावत

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक ...04-02-2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...सकली फुलास

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जनार्दन कुमारा	Janardan
2	पुष्कर सिंह रावत	P. S. Raut
3	प्रेमवल्लभ जोशी	Prem Vallabh Joshi
4	नारायणदास जोशी	Narayan Das Joshi
5	रमेश चंद्र फुलास	Ramchandr Fulas
6	कल्याण नन्द	Kalyan Nand
7	रवींद्र कुमारी	Ravi D. Kumari
8-	मंगल कुमारी	Mangal
9-	हरिनाथ	Harinath
10-	देव सिंह	Dev Singh
11-	गोपी दत्त	Gopi Datt
12-	नाथन सिंह बुधवार	Nathan Singh Budhwar
13	दुर्गा च जोशी	Durga Ch Joshi
14-	प्रेम नाथ गोस्वामी	Prem Nath Goswami
16-	प्रदीप सिंह	Pradipt Singh
17-	भागीरथी सिंह	Bhagiriathi Singh
18-	नाथन सिंह	Nathan Singh
19-	मोहन सिंह	Mohan Singh
20-	प्रकाश सिंह	Prakash Singh

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 20.4.2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...

[illegible]

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- शक्तिपुर

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं0 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे0 वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वि0, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम शक्तिपुर द्वारा दिनांक 4-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम लटोरी, लिस्टा, शक्तिपुर, नगरगौव के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो0नि0वे0, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव


ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत शक्तिपुरबुंगा
दि0 06/02/18 जनपद चम्पावत
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 1-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक्तिपुर बुंगा ग्राम, तनोली, तिला, नगराव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	आनन्द बल्लभ जोशी	
2-	रमेश चन्द्र पाठे	
3-	जोश दत्त जोशी	
4-	नीपक जोशी	
5-	तिलक जोशी	
6-	अमर सिंह महर	
7-	नवीन चन्द्र महर	
8-	प्रकाश चन्द्र कलौनी	
9-	हरीश चन्द्र कलौनी	
10-	गिरीश चन्द्र जोशी	
11-	मनोज कुमार जोशी	
12-	चन्द्र महर जोशी	
13-	जीवन्ती जोशी	
14-	नेत्र बल्लभ महर	
15-	प्रकाश चन्द्र	
16-	हरीश चन्द्र पाठे	
17-	मोहन चन्द्र पाठे	
18-	तनोली सिंह	
19-	गिरीश चन्द्र	

दिनांक 4-2-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत शक्ति-१४२ लिस्टा, जगरगांव लायली

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत शक्तिपुरखुंगा
वि०ख०/जनपद - चम्पावात

(1.6) (15)

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम :- चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- फूगर

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

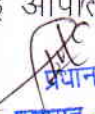
अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 के कि.मी. 121.650 से कि.मी. 129.400 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 09 नया) में चम्पावत बाईपास का निर्माण कार्य हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.480 हे०) अर्थात् कुल 8.380 हे० एवं गलुवा निस्तारण हेतु 0.540 हे० कुल 8.920 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि० लोहाघाट के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 5-2-2018 द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम फूगर के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लोहाघाट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत-फूगरमफी
दि० ख० - चम्पावत
ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :-

चार धाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर
पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 (नया 09)
के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण।दिनांक फरवरी २-१८ को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देव सिंह	देव सिंह
2.	महेश सिंह	महेश सिंह
3.	शीषपाल सिंह	शीषपाल सिंह
4.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
5.	डिकर सिंह	डिकर सिंह
6.	दलीप सिंह	दलीप सिंह
7.	आन सिंह	आन सिंह
8.	रूप सिंह	रूप सिंह
9.	इंगर सिंह	इंगर सिंह
10.	राजेंद्र सिंह	राजेंद्र सिंह
11.	वहादुर सिंह	वहादुर सिंह
12.	प्रेम सिंह	प्रेम सिंह
13.	बलीत सिंह	बलीत सिंह
14.	रामराम	रामराम
15.	हरीराम	हरीराम
16.	सुनील राम	सुनील राम
17.	जोगा राम	जोगा राम
18.	भुवन सिंह	भुवन सिंह
19.	खीम सिंह	खीम सिंह

ग्राम पंचायत-फरवरी
दि० ०२ - चम्पावत

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- चौकी

तहसील- चम्पावत, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण 8.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, चम्पावत के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम चौकी द्वारा दिनांक 5-2-18 को सम्पन्न ग्राम सभाओं/ग्राम पंचायतों की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु किस्तुत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियो द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियो के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौकी, के ग्राम वासियो को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड लो०नि०वि०, लोहाघाट, प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

चम्पावत
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत- चौकी
वि०ख० व जनपद चम्पावत
ह०/-
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास का निर्माण।

दिनांक 22-12-18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत चौकी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	दीवान सिंह कोहरा	दीवान सिंह
2-	चतुर सिंह कोहरा	चतुर सिंह
3-	रवीन्द्र सिंह कोहरा	रवीन्द्र सिंह
4-	पूरा सिंह कोहरा	पूरा सिंह
5-	पुष्प सिंह कोहरा	पुष्प सिंह
6-	केला सिंह कोहरा	केला सिंह
7-	आशु नाथ राम	आशु नाथ राम
8-	गिरीश राम	गिरीश राम
9-	गोपाल राम	गोपाल राम
10-	नाथ राम	नाथ राम
11-	पद्म सिंह प्रसादी	पद्म सिंह
12-	गिरीश राम	गिरीश राम
13-	गोहन सिंह	गोहन सिंह
14-	अकश सिंह	अकश सिंह
15-	जवाहर लाल ठाकुर जॉशी	जवाहर लाल ठाकुर

जवाहर लाल ठाकुर

ग्राम पंचायत चौकी
वि० सं० चम्पावत

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास के मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- पुनेठी

तहसील- बाराकोट, जिला- चम्पावत।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

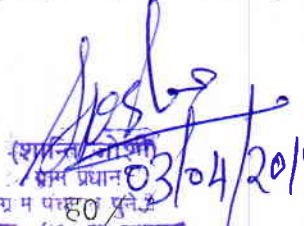
जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास मोटर मार्ग निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 1.200 हे० सिविल सोयम भूमि 3.720 हे०, वन पंचायत भूमि 3.180 हे०) अर्थात् कुल 9.940 हे० वन भूमि का राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट (कार्यदायी संस्था) के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुनेठी द्वारा दिनांक 03/04/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुनेठी के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि राष्ट्रीय राज मार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, लोहाघाट (कार्यदायी संस्था) प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्णय हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / -
ग्राम सचिव


(ग्राम सभा/पंचायत)
ग्राम प्रधान
ग्राम पुनेठी
तहसील- बाराकोट, जिला- चम्पावत
दिनांक 03/04/2018
ग्राम प्रधान

नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है। तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। - आदिवासियों की भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

परियोजना का नाम :-

जनपद चम्पावत में टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 125 नया 09 के चम्पावत बाईपास के मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 03/04/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुनेठी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Dewi Datt Jaster	
(2)	Mang Kumar Punetha	
(5)	जी माधव भट्ट	जी माधव
4	Shankar Bhatt	Shankar
5	रमेशचन्द्र पुनेठा	रमेशचन्द्र
6-	हरेशचन्द्र	हरेश
7-	गोविन्द वल्लभ	गोविन्द
8	शानिकर	शानिकर
9.	लक्ष्मीदत्त	लक्ष्मीदत्त
10-	कमलादेवी	कमलादेवी
11-	महेन्द्र कुमार	महेन्द्र कुमार
12-	बसन्तवल्लभ	Basant
13-	पुष्कर दत्त	पुष्कर दत्त
14-	मोहनसिंह	मोहनसिंह
15-	पूरनसिंह	पूरनसिंह
16-	दुर्गारसिंह	दुर्गारसिंह
17-	नाथूराम	नाथूराम
18-	विक्रमसिंह	विक्रमसिंह
19-	आनकी जोशी	आनकी जोशी

03/04/2018
ग्राम पंचायत पुनेठी
जनपद चम्पावत